न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 179/2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

धन्नाराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी बड़ोपल, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादी

वाद पत्र माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। दर्ज रजिस्टर किया गया।

राजपैरोकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आरटीए प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। वाद वादी निम्न प्रकार से है –

यह कि वादी व प्रतिवादी का रजिस्ट्रेड पता शीर्षक में दर्ज है वह सही है। यह कि क्षेत्रीय वन अधिकारी पीलीबंगा के पत्रांक एफ()राजस्व/435 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा सम्पर्क पॉर्टल परिवाद सख्या 092103210984310 श्री अशोक कुमार व 092103210984310 श्री सन्दीप कसवाह के सन्दर्भ में धन्नाराम के द्वारा गांव बड़ोपल बरानी में वन भूमि पर अतिक्रमण करने व खड़े पेड़ों की अवैध कटाई करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। प्रति संलग्न वाद पत्र है।

वन विभाग के उक्त पत्र प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/2021/2213 दिनांक 20.09.2021 के द्वारा पटवारी हल्का बड़ोपल को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया पटवारी हल्का बड़ोपल से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 के अनुसार धन्नाराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट के खसरा संख्या 1237 में 25 बीघा खातेदारी भूमि पर मौके पर 8 वृक्ष बेरी के, 4 वृक्ष देसी बबूल व 1 वृक्ष खेजड़ी का मौके पर कटा हुआ मिला। इनके तनो की लम्बाई लगभग 10 से 12 फीट व व्यास परिधि लगभग 02 फीट है। मौके पर उक्त पेड़ नही उठाने हेतु पाबन्द किया गया है। प्रति संलग्न वाद पत्र है।

यह कि उक्त हरे वृक्ष हटाने संबन्धी को स्वीकृति/आज्ञा प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। यह कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति लिए प्रतिबंधित हरे पेड़ों को काटा गया है। यही बिना दावा है। यह कि हरे वृक्षों को बिना स्वीकृति के हटाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाई हुई है। यह है कि उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रतिवादीगण द्वारा बिना स्वीकृति के प्रतिबंधित हरे वृक्ष हटाने के जुर्म में प्रतिवादीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत कार्यवाही कर दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा निर्णय दिनांक 22.10.21 [illegible] अप्रार्थी के विरूद्ध प्रत्येक काटे गये वृक्ष की संख्या के अनुसार कुल 1300/–रूपये शा[illegible]यम की जाकर तहसीलदार पीलीबंगा को आदेश दिया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ को धन्नाराम बनाम तहसीलदार प्रकरण संख्या 239 दिनांक 2022 अपील दायर की गई जिसपर माननीय

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.5.23 के द्वारा निर्णय पारित कर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2021 निरस्त किया कर पत्रावली विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की जांच कर उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय चालान 1300 रूपये की प्रति प्रस्तुत की गई। शामिल पत्रावली है। बहस अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पूर्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा दिनांक 22.10.21 के जारी आदेशों को बहाल रखा जाता है। उक्त निर्णय के आदेशों की पालना में अप्रार्थी के विरूद्ध प्रत्येक काटे गये वृक्ष की संख्या के अनुसार कुल 1300/–रूपये शास्ती कायम की गई थी उक्त राशि अप्रार्थी द्वारा खजाना राज में जमा करवाई जा चुकि है प्रकरण में काटे गये वृक्षों के संबंध में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा चुकि है। वर्तमान में प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 28/10/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 17:26:35 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा